

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्ण संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों के अनुरूप है।

दिनांक:-22.12.2018

स्थान:-बिजनौर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिजनौर


सब-प्रभागीय वन अधिकारी
सा.वा. उप-क. भाग
बिजनौर


(एम.सेम्भारन)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर